



2026:AHC:4346

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 49 वर्ष 2026

श्रीमती प्रिया

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : आद्या प्रसाद तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए. पी. तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय लाल के तर्कों को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 16.04.2025 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें 18.04.2024 के आय प्रमाण पत्र के आधार पर 21.04.2025 को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था। सफल उम्मीदवारों में से एक ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर इस आधार पर सवाल उठाया कि आय प्रमाण पत्र जाली था, जिसके संबंध में 06.09.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो याचिकाकर्ता के अनुसार उनके विरुद्ध है। 31.12.2025 को आय प्रमाण पत्र रद्द किए बिना ही याचिकाकर्ता को 06.01.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि आज तक आय प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया गया है और केवल एक शिकायत के आधार पर की गई पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण होने के कारण त्रुटिपूर्ण है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि चाहे जो भी हो, आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को नोटिस का जवाब देते हुए सभी कानूनी आधार प्रस्तुत करने होंगे कि आय प्रमाण पत्र आज तक रद्द नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मैंने न्यायालय में दिए गए निवेदन को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस स्तर पर कोई वाद उत्पन्न नहीं होता है, विशेषकर तब जब कारण बताओ नोटिस के संबंध में याचिकाकर्ता को उत्तर देने का अवसर हमेशा उपलब्ध है, सभी कानूनी और तथ्यात्मक आधारों को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से यह आधार कि आय प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया गया है और उसके पास एक प्रमाण पत्र है जो विधिवत सत्यापित एक वास्तविक प्रमाण पत्र है।

5. अतः, इस स्तर पर हस्तक्षेप अस्वीकृत किया जाता है; याचिकाकर्ता को सभी कानूनी और तथ्यात्मक आधारों पर कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना होगा; न्यायालय के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इस संबंध में नोटिस पर सही ढंग से विचार किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो आदेश पारित होने तक याचिकाकर्ता लाभों का हकदार होगा।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)